संख्या-613/2017/1133/22-2-2017-17(23)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साधूराम उर्फ साधू पुत्र श्री पुतवा, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी साधूराम उर्फ साधू पुत्र श्री पुतवा, ग्राम-बेलहा दरियान, थाना-तम्बौर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा अपनी पुत्री से अवैध सम्बन्ध स्थापित करने से घर में हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 28/29.05.1992 की रात्रि लगभग 09.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-347/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 28.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.01.2017 तक 24 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 83 वर्ष 02 माह लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपनी पुत्री से अवैध सम्बन्ध स्थापित करने से घर में हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 28/29.05.1992 की रात्रि लगभग 09.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की। बन्दी द्वारा अत्यन्त घृणित कृत्य किया गया तथा विरोध करने पर अपनी पत्नी की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साधूराम उर्फ साधू पुत्र श्री पुतवा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी साधूराम उर्फ साधू (बन्दी संख्या-33719) पुत्र श्री पुतवा, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-613/2017/1133/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।